राजस्थान–सरकार

(26)

न्यायालय तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी –पूरण सिंह (आर.टी.एस.)

प्रकरण सं0:– 53/2018

अन्तर्गत धारा 91 राज.भू–राज.अधिनियम 1956

सरकार **बनाम** श्री जयप्रकाश पुत्र श्री मोतीलाल हाल निवासी मोहब्बतसर तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

–: निर्णय :–

दिनांक 25.07.2019

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी वकील उपस्थित पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। संक्षेप में प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का चैलासी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मोहब्बतसर स्थित भूमि खसरा नम्बर 441 रकबा 3.55 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम खातेदारी मन्दिर माफी श्री राधा वल्लभजी के दर्ज रिकॉर्ड में से 0.005 हैक्टेयर भूमि पर दुकान बनाकर श्री जयप्रकाश पुत्र श्री मोतिलाल निवासी मोहब्बतसर तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू। (राज.) द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया। राजस्थान सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) प्रकरण कमांक 3(2) राज/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.09.2018 की पालना में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस तामिल रिपोर्ट प्राप्त हुई। नियत समय पर अप्रार्थी वकील उपस्थित होकर प्रारम्भिक विधिक आपत्ति अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. दर्ज क़रवायी जिसमें इस कार्यालय द्वारा जारी नोटिस दिनांक 26.08.2016 को यह कहते हुये कानूनी रूप से गलत बतायां कि खातेदारी माफी मन्दिर श्री राधावल्भजी की भूमि में अनाधिकृत कब्जा मानकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही नही कर सकते है। जिसको राजस्थन सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) कमांक 3(2) राज/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.09.2018 की पालना में प्रारम्भिक विधिक आपत्ति को खारिज कर दिया गया। प्रारम्भिक विधिक आपत्ति खारिज करने के बाद अप्रार्थी व अप्रार्थी वकिल की और से आज दिनांक तक कोई जवाब पेश नही करने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

अतः गिरदावर हल्का, नवलडी एवं पटवारी हल्का, चैलासी की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत ग्राम मोहब्बतसर क़े ख.न. 441 में 0.005है. भूमि पर अतिकमी घोषित किया जाकर अतिकमित भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। अप्रार्थी द्वारा किये गये अतिक्रमण के फलस्वरूप अप्रार्थी को शरह लगान का 50 गुणा अर्थात् 3/– रूपये के आर्थिक दण्ड (तावान्) से दण्डित किया जाता है। तावान् कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को तहरीर जारी हो। अतिकमी की भौतिक बेदखली हेतु भू.अ. निरीक्षक व पटवारी हल्का चैलासी क़ो लिखा जावे तावान की वसूली हेतु पटवारी को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दप्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पूरण सिंह)

तहसीलदार नवलगढ़

तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

रोकड़ सं. 4 वर्ष 19-20 के पृष्ठ सं. 32 पर 3/- रुपये की मांग कायमी की गई

16/8/19

तहसील राजस्व लेखाकार तहसील नवलगढ़